5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017–18 निगरानी

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2018/2078

राजेश पिता गेंदालाल आयु–42 वर्ष, धंधा–कृषि,
निवासी–इंगोरिया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन

...........प्रार्थी

प्रार्थी ... श्री अश्विन चौधरी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 01-03-18
अधीक्षक 1.03.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

---विरूद्ध---

1. श्रीमती देवलीबाई पति भैरूलाल
2. गंगाराम पिता भुवान
3. बद्रीलाल पिता बाबूलाल
4. रामकन्या पति बाबूलाल
5. हाकमसिंह पिता रतनसिंह

निवासीगण–ग्राम कनवास तहसील खाचरौद
जिला उज्जैन ....प्रतिप्रार्थीगण

274
01/3/18

विषय– न्यायालय आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 135/15–16/अपील में पारित आदेश दिनांकित 1–1–2018 के पुनरीक्षण हेतु निगरानी याचिका धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी /उज्जैन /भू.रा/18/2078

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री अश्विन चौधरी द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दि. 1-1-2018 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा देने का उल्लेख किया गया है, पट्टे की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है । आवेदक द्वारा पट्टा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने एवं कूट रचना एवं गलत तथ्य प्रस्तुत करने तथा फर्जी पट्टा की गतिविधि में शामिल होने के कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	